

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकेट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/27/54.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/27/28 दिनांक 23-08-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला बेमेतरा में विद्यमान 54 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 47 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला बेमेतरा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/27/27 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितवद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला बेमेतरा की समितियों के पुनर्गठन हेतु 22 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 30-09-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 द्वारा 11 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 11 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/27/28 दिनांक 23-08-2019 की कड़िका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा के प्रतिवेदन दिनांक 08-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 12-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला बेमेतरा में विद्यमान 54 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 48 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से, किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तर्गत कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची - एक

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्या. भिंभौरी	कंडरका, बेरलाकला, बोरसी	सेवा सहकारी समिति मर्या. गुधेली
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहरेंगा	भोथीडीह, सोनपुरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. बालसमुंद

अनुसूची - दो

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्या. बीजा	सेवा सहकारी समिति मर्या. घोटवानी	घोटवानी, तेंदूभाठा, केसतरा, खामडीह, बगलेडी
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. टेलका	सेवा सहकारी समिति मर्या. कांपा	बोड़, रेंगा
3	सेवा सहकारी समिति मर्या. खैरझिटी	सेवा सहकारी समिति मर्या. खाती	खपरी, उरैहा, ढेकापुर, टेढी, कांपा, उसलापुर
4	सेवा सहकारी समिति मर्या. कन्हैरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. सैगोना	खाती, पतौरा, सौरी, भुसंडी, मटिया, बोरिया2, कंदई, गांडाघाट
5	सेवा सहकारी समिति मर्या. धानखम्हरिया	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरुद	अकोला
6	सेवा सहकारी समिति मर्या. हाटरांका	सेवा सहकारी समिति मर्या. बनरांका	सैगोना, कारेसरा, गर्गा, खुरुसबोड़
7	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेलतरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. भरदा	कुरुद, खैरा, कुर्रा, समुंदवारा
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. केहका	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोमईकला	बम्हनी,
9	सेवा सहकारी समिति मर्या. साजा	सेवा सहकारी समिति मर्या. केंवतरा	बनरांका, टिपनी, गोपालपुर, चिखली
10	सेवा सहकारी समिति मर्या. देवकर	सेवा सहकारी समिति मर्या. अकलवारा	पेण्डीकला
11	सेवा सहकारी समिति मर्या. गाड़ाडीह	सेवा सहकारी समिति मर्या. सहसपुर	दर्री, हाड़ाहुली, साजन, भरमपुरी, गुवारा, श्यामपुरकांपा
12	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहगांव	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहतरा(साजा)	भरदा, बरगडा, मुसवाडीह, रमपुरा, धौराभांठा, अमलीडीह,
13	सेवा सहकारी समिति मर्या. बोरतरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. चैचानमेटा	सोमईकला, बेन्दरची, सम्बलपुर
14	सेवा सहकारी समिति मर्या. परपोड़ी	सेवा सहकारी समिति मर्या. प्रतापपुर	चिल्फी, करमतरा
15	सेवा सहकारी समिति मर्या. रनबोड़	सेवा सहकारी समिति मर्या. पुटपुरा	सुवरतला, नवागांवगहिरा
16	सेवा सहकारी समिति मर्या. सम्बलपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या. गोढीकला	पड़कीटोला, केंवतरा
17	सेवा सहकारी समिति मर्या. दाढी	सेवा सहकारी समिति मर्या. उमरिया	खपरीलोधी
18	सेवा सहकारी समिति मर्या. छिरहा	सेवा सहकारी समिति मर्या. मजगांव	अकलवारा, कांचरी, हरडुवा
19	सेवा सहकारी समिति मर्या. बीजाभाठ	सेवा सहकारी समिति मर्या. खिलोरा	सहसपुर, लालपुर, नौकैसा
20	सेवा सहकारी समिति मर्या. जिया	सेवा सहकारी समिति मर्या. जिया	बुंदेली

	जेवरा		
21	सेवा सहकारी समिति मर्या. बालसमुंद	सेवा सहकारी समिति मर्या. भैंसा	भैंसा, भनसुली, करचुवा, कातलबोड़, सनकपाट,
22	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहभट्टा	सेवा सहकारी समिति मर्या. चोंगीखपरी	चोंगीखपरी, नारधी, डंगनिया ख, सालहेपुर, कुम्हीगुड़ा, बचेडी
		सेवा सहकारी समिति मर्या. सल्धा	खम्हरिया (एम), सिंघौरी
23	सेवा सहकारी समिति मर्या. देवरबीजा	सेवा सहकारी समिति मर्या. डंगनिया (ब)	सल्धा, मजगांव, डड़जरा
		सेवा सहकारी समिति मर्या. खुड़मुड़ा	डंगनिया(ब) सण्डी, बहेरघट, बहिगा, नवागांव, दमई
24	सेवा सहकारी समिति मर्या. सिलघट	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुसमी	खुड़मुड़ा, लावातरा, नवागांव, मुंडपार, भरदा
25	सेवा सहकारी समिति मर्या. आनंदगांव	सेवा सहकारी समिति मर्या. बारगांव	कुसमी, खर्रा, कुम्ही, सोरला, भाड़
		सेवा सहकारी समिति मर्या. अछोली	बारगांव, मटिया, कोसपातर, बेलौदीकला
26	सेवा सहकारी समिति मर्या. सरदा	सेवा सहकारी समिति मर्या. मावलीभाठा	मुड़पारखुर्द
		सेवा सहकारी समिति मर्या. गोड़गिरी	अछोली, पाहंदा, चेदुवा, सहगांव, जमघट
27	सेवा सहकारी समिति मर्या. बांसा	सेवा सहकारी समिति मर्या. गिरीतपुर	घटियाकला, मुड़पार, तिलई (मावलीभाठा), चण्डी, करेली
28	सेवा सहकारी समिति मर्या. गुधेली	सेवा सहकारी समिति मर्या. पतोरा	गोड़गिरी, बोहारडीह, सिंगारडीह, खंगारभाठ, गाड़ामोर, खमतलाई
29	सेवा सहकारी समिति मर्या. कठिया	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोढ	किरीतपुर, खम्हरिया, टेमरी, तिवरैया, रवेली
30	सेवा सहकारी समिति मर्या. टकसींवा	सेवा सहकारी समिति मर्या. लेंजवारा	लेंजवारा, तारालीम, भिलौरी
31	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेरला	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोढ	पतोरा, भरघट्टी, रेवे, मंगलोर, पथरपूजी, सोढ, सिवार, भाठासोरही, नवागांव, तबलघोर,

अनुसूची - तीन

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	सेवा सहकारी समिति मर्या. डूण्डा	सिंघौरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेमेतरा	--
		कन्तेली, ओटेबंद, हथमुड़ी, भुरकी, सिरवाबांधा, बहुनवागांव, गांगपुर	--	सेवा सहकारी समिति मर्या. कन्तेली
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. झाल (नवागढ़)	सालहेघोरी,	सेवा सहकारी समिति मर्या. नवागढ़	--
		भैंसामुड़ा, मोहतरा, नवलपुर		
3	सेवा सहकारी समिति मर्या. मुरता	बोरतरा, बैजलपुर, हरमुड़ी	"	सेवा सहकारी समिति मर्या. बोरतरा
4	सेवा सहकारी समिति मर्या. टेमरी	खैरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. नांदघाट	--
		नारायणपुर, तेंदुभाठा, नवागांव, दुधिया, अमलडीहा, लोहडंगिया,	"	सेवा सहकारी समिति मर्या. नारायणपुर
5	सेवा सहकारी समिति मर्या. गुंजेरा	मोहलाईन	"	सेवा सहकारी समिति मर्या. बुंदेला
		बुंदेला, बिनैका, लालपुर, सोनपुरी, बुंदेली, नगधा	"	

6	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुंवरा	घोरहा		
		मेहना, मनोधरपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या. बदनारा	--
		कन्हारपुर, भिखमपुर, डंगनिया, पौंसरी		
7	सेवा सहकारी समिति मर्या. नांदघाट	मल्दा, मगरघटा, धोबघट्टी	..	सेवा सहकारी समिति मर्या. मल्दा
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. बदनारा	पिरैया, केसला, मं.खपरी,		
		केशतरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. सम्बलपुर	--
		कटई, कुंवा, मुंगवाय, बहरबोड़, नवागांव, रूसे, तारेगांव, नेऊर, भदौरा, कुरुवा, सेनगांव, बुचीपुर	..	सेवा सहकारी समिति मर्या. कटई
9	सेवा सहकारी समिति मर्या. हटहाडाण्डू	भालूपान		
		दूरासेमरिया,	सेवा सहकारी समिति मर्या. नवागढ़	--
		अंधियारखोर, नगधा, बरबसपुर, तोरा, जेवरा, देवरी, मक्खनपुर, गोपालपुर, खपरी, मानपुर	--	सेवा सहकारी समिति मर्या. अंधियारखोर
	सेवा सहकारी समिति मर्या. नांदघाट	खम्हरिया, मुटपुरी, मऊ	..	सेवा सहकारी समिति मर्या. मऊ
10	सेवा सहकारी समिति मर्या. चंदनू	तुमा, केशतरा		
		सिंघनपुरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. झाल	--
11	सेवा सहकारी समिति मर्या. झाल बी	सिंगपुर,	सेवा सहकारी समिति मर्या. खण्डसरा	--
		पेण्डीतराई, नरी, कोसा, छितापार, पंडरभट्टा	..	सेवा सहकारी समिति मर्या. पेण्डीतराई
12	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेमेतरा	मंजगांव		
		मुड़पार,	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहतरा	--
		लोलेसरा, नवलपुर, बिलई, बैंजी, बहेरा, चारभाठा	--	सेवा सहकारी समिति मर्या. लोलेसरा
13	सेवा सहकारी समिति मर्या. नवागढ़	नेवसा, बघुली, करमन, अमलीडीह, बोइरकचरा, झांकी, गोपालभैना, बाघुल	..	सेवा सहकारी समिति मर्या. नेवसा
14	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरदा	धोबनीखुर्द, टेंगाभाठा		
		दमईडीह,	सेवा सहकारी समिति मर्या. दाढ़ी	--
		बंघी, भैसबोड़कला, सेमरिया, सेंदरी	..	सेवा सहकारी समिति मर्या. सेमरिया
15	सेवा सहकारी समिति मर्या. खण्डसरा	मरतरा, बंशापुर, घानाडीह चमारी, लावातरा, धनगांव, झिलगाकांपा, अतरिया, मोतिमपुर, झाझाडीह,	--	सेवा सहकारी समिति मर्या. अतरिया